संख्या:386/2022/1396/35-4-2022/001-35-4099/315/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 10 नवम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-इटावा में शासनादेश संख्या-353/2021/2202/35-4-2021, दिनांक 05 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 11 कार्यों की रू0 301.78 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 126.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, इटावा द्वारा पत्र सं0-373/त्व0आ0वि0यो0/डी0एस0टी0ओ0/2022-23, दिनांक 25 अगस्त, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपभोग किया जाना इंगित करते हुए 06 कार्यों की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष रू. 175.23 लाख (रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख तेइस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	वि0ख0 महेवा की ग्राम पंचायत कुनैठा के ग्राम धौकल में शिव मंदिर से श्री जयवीर सिंह के मकान एवं श्री मानसिंह के मकान से श्री बाचन सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	22.00	15.00	07.00
2	वि0ख0 महेवा की ग्राम पंचायत जयमलपुर के मजरा चिकनी में श्री मयंक के घर से बम्बा पटरी होते हुए डामर रोड तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	39.27	15.00	24.27
3	वि0ख0 महेवा की ग्राम पंचायत नसीदीपुर में पंचायत भवन से मुर्गी फार्म होते हुए हर्राजपुर अहेरीपुर मार्ग तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	80.54	15.00	65.54
4	वि0ख0 भरथना की ग्राम पंचायत विरौंधी में पाडरी बाबा थान से लेकर नाले की पुलिया तक सी0सी0 निर्माण कार्य	66.00	15.00	51.00
5	वि0ख0 भरथना की ग्राम पंचायत विरौंधी में मल्लाह अड्डा मजरा से लेकर नरेश बाल्मीकि के घर होते हुए रतनपाल के खेत तक सी0सी0नाली निर्माण कार्य	37.47	15.00	22.47
6	वि0ख0 भरथना की ग्राम पंचायत विरौंधी में सी0सी0रोड से लेकर नाले की पुलिया होते हुए पश्चिमी तालाब तक सी0सी0 व यू-टाईप नाली निर्माण कार्य	19.95	15.00	04.95
	योग	**265.23**	**90.00**	**175.23**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,75,23,000 (रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख तेइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:386/2022/1396/35-4-2022/001-35-4099/315/2021तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी इटावा ।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इटावा ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in